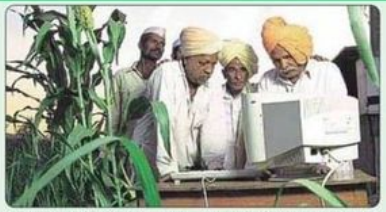

हरियाणा

7 साल

सुशासन दिवस, 25 दिसम्बर, 2021

हाइटैक के हाई-वे पर दौड़ता हरियाणा

अंत्योदय सरल पोर्टल

सरल पोर्टल
सुशासन दिवस
सुशासन दिवस

1. पहचान की गई समस्या
- सभी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध न होना।
- योजनाओं व सेवाओं के लाभ प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया।
- निर्धारित समयसीमा में योजनाओं व सेवाओं का लाभ न मिलना।
- जिला उपमण्डल व तहसील स्तर पर पर्याप्त केंद्र उपलब्ध न होना।
- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा लाभ के लिए जिला, उपमण्डल व तहसील स्तर पर बार-बार चक्कर लगाने को मजबूर होना।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार।
- सभी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी के लिए एक ही ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध।
- इसके लिए सरल पोर्टल की शुरूआत वर्ष 2017 में की गई।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व पेपरलैस तरीके से सुनिश्चित की गई।
- जिला उपमण्डल व तहसील स्तर पर अत्याधुनिक प्रणाली से सेवाओं व योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 100 से अधिक केन्द्र संचालित।
- ग्रामीण स्तर पर अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से योजनाओं व सेवाओं के लाभ उपलब्ध कराना।
- अंत्योदय सरल के माध्यम:
  (क) ऑनलाइन प्लेटफार्म, (ख) नागरिक सेवा केन्द्र
- **सेवा प्रदायगी केन्द्र:**

○ जिला मुख्यालय: अंत्योदय भवन (योजनाओं के लिए)
○ जिला मुख्यालय: सरल केन्द्र (सेवाओं के लिए)
○ उपमण्डल : अंत्योदय सरल केन्द्र (योजनाओं व सेवाओं के लिए)
○ तहसील स्तर: अंत्योदय सरल केन्द्र (योजनाओं व सेवाओं के लिए) लाभ।

3. लाभ
- लोगों को योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक ही मंच पर ।
- पंक्ति के अंतिम नागरिक को उसके घर द्वार पर ही योजनाओं व सेवाओं की जानकारी तथा लाभ।
- योजनाओं व सेवाओं के लाभ के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति।
- नागरिकों को आराम-आसानी से काम।

○ **टोकन**-नागरिकों को लाइन में न लगना पड़े इसके लिए, 'पहले आएं- पहले पाएं' आधार पर टोकन की सुविधा।
○ **प्रतीक्षा कक्ष**- नागरिकों के लिए वातानुकूलित कक्ष की सुविधा।
○ प्रत्येक सेवा केन्द्र पर एक **हैल्प डेस्क** स्थापित।
○ सेवा व योजना संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के लिए एक राज्यव्यापी हेल्पलाइन नं. 0172-3968400 जारी।

4. परिणाम
- सरल पोर्टल पर 42 विभागों की 589 सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन।
- इस पोर्टल पर मासिक आधार पर 5.5 लाख से अधिक आवेदनों की प्राप्ति
- अब तक 4 करोड़ 82 लाख 54 हजार आवेदन प्राप्त ।
- आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित करने हेतु प्रतिमाह 20 लाख से अधिक एस. एम. एस. भेजे जाते हैं।
- कॉल सेंटर पर 1 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुईं।
- औसत नागरिक फीडबैक स्कोर 5 में से 4.3 से अधिक है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

1. पहचान की गई समस्या
- लाल डोरे के भीतर गांव में किसी प्रकार की सम्पत्ति का राजस्व रिकार्ड नहीं था।
- मकान या प्लाट की खरीद व बिक्री के समय रजिस्ट्री नहीं होती थी।
- संपत्ति पर बैंक से ऋण भी नहीं मिलता था।
- मालिकाना हक पर भी झगड़े होते रहते थे।

2 राज्य द्वारा किये गये सुधार
- राज्य में गांवों की मैपिंग का काम शुरू किया गया।
- ग्रामीण और आबादी क्षेत्र का फील्ड वेरिफिकेशन का कार्य किया गया।
- लाल डोरे के भीतर की हर सम्पत्ति का मानचित्रण किया।
- प्रत्येक सम्पत्ति को विशिष्ट पहचान दी गई।

लाभ
- भू-मालिकों को मालिकाना हक मिला।
- जमीन की खरीद-फरोख्त व उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला।
- मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगा।
- कोई भी व्यक्ति गली या पंचायत की अन्य जमीन को दबा नहीं पाएगा।

4. परिणाम
- इस योजना के तहत अब तक कुल 6,309 गांव कवर किए गए।
- पात्र लाभार्थियों की संख्या 20 लाख है, जिनमें से 64 प्रतिशत यानि कि 12 लाख 77 हजार 807 लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है।

सुशासन से सेवा

- वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया और वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए सी. एम. विंडो पोर्टल' शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 8 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 18 लाख से अधिक किसानों को 3961 करोड़ रु. बीमा क्लेम के रूप में दिए।
- भावांतर भरपाई योजना में शामिल सभी 21 बागवानी फसलों को 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' के तहत 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक बीमा कवर।
- संकट के समय तुरंत मदद प्रदान करने के लिए आई.टी. का उपयोग कर सभी आपातकालीन सेवाओं को मिलाकर 'हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली' संचालित।
- सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डी.बी.टी. से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया।
- जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों आदि के अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी करने शुरू किये।
- भूमि विवादों के निपटान में रिमांड एक बड़ी बाधा थी जो भ्रष्टाचार की जननी थी। रिमांड की प्रथा को खत्म किया।
- सी.एल.यू. को पूरी तरह ऑनलाइन किया।
- ई-पंजीकरण प्रणाली के तहत रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट।
- सरकारी कामकाज में तेजी लाने और फाइलों के शीघ्र निपटान के लिए 'ई-ऑफिस' की शुरूआत। इस पोर्टल से 50 से अधिक विभागों और सभी 22 उपायुक्त कार्यालयों के 26 हजार से अधिक उपयोगकर्ता व अधिकारी जुड़े हुए हैं। अब तक सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा 23 लाख से अधिक फाइलें और 19 लाख से अधिक प्राप्तियां स्थानांतरित की जा चुकी हैं।
- जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए WEB HALRIS पूरे प्रदेश में लागू।
- खनन ठेकों में ई-नीलामी और ई-रवाना स्कीम से पारदर्शिता।
- डिजिटल साधनों से सेवाओं व योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग से 'नागरिक संसाधन सूचना विभाग' का गठन।
- आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम' बनाया।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बंधित सभी विषयों के लिए मानव संसाधन विभाग गठित।

- व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल योजना।
- किसानों को फसलों की ऑनलाइन बिक्री सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की 81 मंडियों को E-NAM पोर्टल से जोड़ा गया है।
- सुशासन और Service Delivery में टेक्नॉलाजी का भरपूर इस्तेमाल करने के साथ-साथ समाज के लिए कुछ कर-गुजरने का जज्बा रखने वाले समर्पित स्वयंसेवकों का सहयोग लेने के उद्देश्य से स्वैच्छिक कार्यक्रम 'समर्पण' शुरू किया गया है।
- युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए 'एकल पंजीकरण' की सुविधा शुरू की गई है।

हरियाणा की नई पहलें जो केंद्र व दूसरी राज्य सरकारों के लिए बनी प्रेरणा

- गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' करने की योजना को केन्द्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना' के रूप में पूरे देश में लागू किया।
- 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया।
- कोविड- 19 महामारी की दूसरी लहर में गांव-गांव और घर-घर जाकर जांच अभियान चलाया, तो केन्द्र सरकार ने ऐसा अभियान हर प्रदेश में चलाने की बात कही।
- ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की उपयोगिता को देखते हुए कई दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है।
- प्रदेश की खेल नीति का मूल्यांकन करने गुजरात सरकार की एक टीम ने दौरा किया।
- प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों की व्यवस्था की तो माननीय न्यायालय ने भी इसकी सराहना की।

परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.)

परिवार पहचान पत्र वितरण समारोह

1. पहचान की गई समस्या
- हर सरकारी एजेंसी अपना स्वयं का डेटा रखती है और उसी के अनुसार योजनाओं व सेवाओं का लाभ देती है।
- आमतौर पर इस डेटा को अपडेट नहीं किया जाता और योजनाएं पुराने डेटा के आधार पर ही लागू की जा रही थीं।
- इससे पात्र गरीब परिवार अक्सर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं और अपात्र लाभ उठा जाते हैं।
- किसी भी सरकारी सेवा या योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को पहचान, जाति के प्रमाण, आय के प्रमाण, जन्मतिथि के प्रमाण आदि के रूप में कई दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं।
- 'आधार' व्यक्ति आधारित है, जबकि योजनाएँ परिवार को इकाई मानकर आधारित की जाती हैं।
- नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील, जो अपडेट नहीं होती, इससे अपात्र लोग लाभ उठाते हैं।
- लाभ हेतु नागरिकों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार
- पी.पी.पी. के क्रियान्वयन के लिए नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग की स्थापना।
- सितंबर, 2021 में हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 को अधिनियमित और अधिसूचित किया तथा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी का गठन किया।
- परिवार आधारित आई.डी. यानि परिवार पहचान पत्र बनाना।
- इसमें परिवार के सभी सदस्यों, उनकी आय, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता आदि के विवरण सहित सामाजिक-आर्थिक आंकड़ा उपलब्ध।
- औद्योगिक संगठित श्रमिक के व्यवसाय और आय की जांच के लिए श्रमिक डेटा, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशनभोगियों, किसानों का डेटा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सेवा के माध्यम से आयकर डेटा, पंजीकृत सन्निर्माण श्रमिक डेटा, स्कूलों और कालेजों का विद्यार्थी डेटा आदि को आपस में जोड़ना।
- पी.पी.पी. में प्रतिदिन डेटा अपडेट करने के लिए जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के डेटा को जोड़ना।
- जाति वर्ग का एकबारगी सत्यापन किया, जिसमें आरक्षित जातियों के 85 प्रतिशत से अधिक परिवार सत्यापित।
- सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय समितियों के माध्यम से सत्यापित नागरिकों का आय डेटा।

3. लाभ
- पी.पी.पी. से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में रसाव की आशंका कम और लाभ सीधे लाभार्थी तक।
- सबसे गरीब व्यक्ति को सबसे पहले लाभ।
- केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही लाभ मिलेगा।
- सभी योजनाओं और सेवाओं को केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ने से शासन सुधार होगा और सरकारी सेवाओं के सक्रिय वितरण के साथ सावधि आधार पर नागरिकों का सामाजिक-आर्थिक विवरण अद्यतन होगा।
- बी.पी.एल. सूची का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन शुरू और नई बी.पी.एल. सूची तैयार की जा रही है।
- वर्ष 2021 में सभी कॉलेजों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दाखिलों को जाति व आय के स्वत: सत्यापन के साथ पी.पी.पी. से जोड़ा।

4. परिणाम
- पी.पी.पी. से 450 से अधिक सेवाएं जोड़ीं।
- 65 लाख से अधिक परिवारों के 2.57 करोड़ से अधिक सदस्य पीपीपी के साथ पंजीकृत।
- हरियाणा के 90 प्रतिशत परिवारों के पास पी.पी.पी. आई.डी.।
- न्यूनतम आय वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू।

ऑनलाइन स्थानांतरण नीति

1. पहचान की गई समस्या
- पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश में स्थानांतरण एक उद्योग बन गया था। वर्ष भर स्थानांतरण चलते रहते थे।
- स्थानांतरण में भ्रष्टाचार होता था।
- कहीं पर जरूरत से अधिक अध्यापकों का होना और कहीं अध्यापकों की कमी होना।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार
- वर्ष भर चलने वाले इस स्थानांतरण उद्योग पर ताला जड़ने के लिए अध्यापकों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू की।
- ऐसे काडर में यह नीति लागू की थी, जिसमें 500 या उससे अधिक पद हैं।
- फिर उन काडर में भी यह नीति लागू करने का निर्णय लिया गया, जिनमें 300 या उससे अधिक पद हैं।
- अब यह नीति उन काडर में भी लागू कर दी है, जिनमें 80 या उससे अधिक पद हैं।

3. लाभ
- तबादला उद्योग पर ताला लगा।
- कदाचार में कमी।
- शिक्षकों को मनपसंद स्टेशन मिलने से उनके काम की गुणवत्ता में सुधार।

4 परिणाम
- यह नीति 43 विभागों के 214 काडर में लागू की जा चुकी है, जिनमें से 74 काडर में अधिसूचित की जा चुकी है।
- इस नीति की उपयोगिता को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है।

धरती पुत्र के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा'

1. पहचान की गई समस्या
- मौजूदा गिरदावरी में किसानों द्वारा बोई गई फसल के आंकड़ों में विश्वसनीयता की कमी होना।
- बोई गई फसलों के दस्तावेज बनाने में किसानों का शामिल न होना।
- पटवारियों द्वारा गिरदावरी के इंद्राज पर किसानों का मतभेद होना।
- खरीद प्रक्रिया के साथ भूमि रिकार्ड का न जुड़ना।
- किसानों से संबंधित सभी लाभकारी योजनाएं अलग-अलग संचालित होती हैं, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है।
- किसानों को हर योजना के लिए बार-बार भू-रिकार्ड निकलवाना पड़ता था।
- किसानों को उनकी फसल की उपज के भुगतान में देरी होना। किसान खरीद और भुगतान के लिए कमीशन एजेंटों (आढ़तियों) की दया पर निर्भर थे।
- खरीद शुरू होने से पहले क्षेत्र-वार और गांव-वार खरीद के लिए संभावित फसल पर विश्वसनीय डेटा का उपलब्ध न होना।

2. राज्य द्वारा किए गए सुधार
- राज्य द्वारा स्वयं एक ऐसा आई.टी. प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, जिस पर किसान स्वयं अपनी जमीन के प्रत्येक टुकड़े पर बोई गई फसल की जानकारी दर्ज करता है।
- इसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है।
- परिवार पहचान पत्र में आंकड़ों के आधार पर ओ.टी.पी. आधारित प्रमाणीकरण किया जाता है।

- किसान द्वारा भूमि, फसल, फसल की किस्म, खरीद के तरीके का विवरण पंजीकृत किया जाता है।
- आगे की खरीद के लिए किसानवार क्षेत्रवार, मंडीवार और फसलवार अनुमानित उत्पादन ई-खरीद आई.टी. प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
- मंडी में फसल लाने का समय निर्धारण किसान द्वारा किया जाता है।
- किसान खरीद और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- सभी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज होती हैं। डिजिटल भूमि रिकार्ड के साथ सीधा जोड़ना। किसान को कोई भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- किसान अपना बैंक विवरण प्रदान करेगा, जिसमें उसका असली नाम होगा ताकि भुगतान केवल पंजीकृत किसान के खाते में ही किया जा सके।
- किसान द्वारा भरे गए फसल आंकड़ों की प्रमाणिकता 3 अलग-अलग तरीकों से होगी
  0 क्षेत्र स्तर के डेटा की उपग्रह इमेजिंग द्वारा।
  0 पटवारी द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज गिरदावरी द्वारा।
  0 कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भरे गए प्रत्येक क्षेत्र के लिए फसल आंकड़ों द्वारा।
- उपग्रह इमेजिंग के लिए फसल हस्ताक्षर निर्देशिका तैयार करना।
- विभिन्न 4 स्तरों पर एकत्रित आंकड़ों में एकरूपता न होने पर इन आंकड़ों को डी.सी., ए.डी.सी., एस.डी.एम. और अन्य एच.सी.एस. अधिकारियों द्वारा पुन: सत्यापित किया जाता है।
- सभी खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से डिजीटल और पेपरलेस करने के लिए खरीद प्रक्रिया को इससे जोड़ना।
- सत्यापित किसानों के खाते में निर्धारित समय में सीधे भुगतान सुनिश्चित करना।

3.लाभ
- खरीदी गई फसल का किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित
- सरकार खरीद के भुगतान में 72 घंटे से अधिक की देरी पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करती है।
- खरीद में गड़बड़ी पर नियंत्रण।
- MSP पर 14 फसलों की सरकारी खरीद।

4. परिणाम
- पंजीकृत किसानों की कुल संख्या- 9.25 लाख।
- रबी - 2021 में 62 लाख एकड़ खरीफ-2021 में 52 लाख एकड़ क्षेत्र पंजीकृत।
- भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से पिछले दो साल में हरियाणा में धान की खरीद में 15 प्रतिशत की कमी आई।
- पिछले तीन खरीद सीजनों में किसानों को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का DBT द्वारा भुगतान।
- बाजरे को 'भावांतर भरपाई' के रूप में 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 429 करोड़ रुपये 2 लाख 38 हजार 245 किसानों के खातों में सीधे डाले ।

ऑटो अपील प्रणाली (ए.ए.एस) : सेवाएं समयबद्ध और पारदर्शिता से लोगों तक पहुंच रही हैं

1. पहचान की गई समस्या
- लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2014 में लागू किया गया था।
- जटिल प्रक्रिया-अपील दायर करने में असुविधा।
- समय पर सेवाएं देने में अप्रभावी।
- अगस्त 2021 तक 7 सालों में केवल 7 अपील दायर।
- अपीलीय प्राधिकारी को पहले मैनुअल अपील दायर होती थी।

2.राज्य द्वारा किये गये सुधार
- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2015 के नियम-3 में संशोधन।
- हरियाणा सेवा का अधिकार नियमों में ऑटो अपील का प्रावधान करने के लिए संशोधन किया।
- ऑटो अपील प्रणाली को अंत्योदय सरल प्लेटफार्म से जोड़ा।
- इस पोर्टल पर उपलब्ध 650 योजनाएं व सेवाएं AAS से जुड़ गईं।

3. लाभ
- **सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता-** इस सॉफ्टवेयर में हर कोई देख सकता है कि कितने मामलों में देरी हुई है और कौन अधिकारी जिम्मेदार है।
- **आवेदकों की ईज ऑफ लिविंग** इस सिस्टम से आवेदक का जीवन सुगम हुआ और उसे अपील की स्थिति बारे ईमेल और एस.एम.एस. से सूचना ।
- **संतुष्टि सूचकांक-** आवेदक सेवाओं की डिलीवरी के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर हैप्पीनेस रेटिंग फीचर के तहत रेटिंग दे सकते हैं।
- **कागज आधारित फाइलों में भारी कमी-** यह कागज रहित फाइलिंग सुनिश्चित करता है।
- **लालफीताशाही पर रोक-** अधिसूचित समय सीमा समाप्त होने पर, आवेदक का आवेदन स्वत: ही प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी, फिर द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी और फिर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को अग्रेषित हो जाता है।

4. परिणाम
- अगस्त 2021 तक 7 सालों में केवल 7 अपील दायर।
- AAS के अंतर्गत 5 सितम्बर, 2021 से 9 दिसम्बर, 2021 तक कुल 14,902 अपील दायर ।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

1. पहचान की गई समस्या
- सबसे गरीब व्यक्ति को लाभ न पहुंचना
- सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अति गरीब व्यक्ति आमतौर पर छूट जाता है।
- प्रत्येक सरकारी एजेंसी / विभाग स्वतंत्र रूप से अपनी योजना लागू करते हैं।
- अति गरीब व्यक्ति की जरूरत और क्षमता का समय-समय पर मूल्यांकन न होना ।

2. सरकार द्वारा किये गये सुधार
- अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1.80 लाख रुपए करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।
- ऐसे गरीब परिवारों की पहचान की गई, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम थी।
- प्रत्येक परिवार का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास स्वरोजगार और रोजगार सृजन जैसे उपायों का एक पैकेज अपनाया और तैयार किया जा रहा।
- कई सम्बंधित योजनाओं के लाभ प्रदान करने में बैंकों को भी शामिल किया गया है।
- चिन्हित अंत्योदय परिवारों को आमंत्रित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें सभी संबंधित सरकारी एजेंसियां और बैंक मौजूद रहे।
- बैंकों द्वारा आवेदनों का मौके पर ही मूल्यांकन किया गया। निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की गई और सहायता के लिए योजना की पहचान की गई।
- राज्य को 274 जोन में बांटा गया।
- परिवारों के आकलन के लिए विभिन्न विभागों के सदस्यों की जोनल कमेटियों का गठन किया गया ।
- सदस्यों द्वारा प्रत्येक परिवार का विशिष्ट आवश्यकता मूल्यांकन किया गया।
- चिन्हित योजना की प्रक्रिया हेतु सभी जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष मौके पर उपस्थित रहे।

3. लाभ
- परिवार आत्मनिर्भर होगा।
- सरकार की रोजगार योजनाओं से पात्र परिवारों को जोड़ना ।
- शुरुआत में मौजूदा योजनाओं का लाभ प्रदान करने या आवेदक की शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल के अनुसार ऋण को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

4. परिणाम
- राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार, रोजगार, कौशल विकास आदि से संबंधित पहले से ही चल रही 18 विभागों की 54 योजनाओं की पहचान की गई।
- मार्च, 2022 तक 1 लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है।
- सहायता के लिए 1,48,333 परिवारों की पहचान की गई।
- इस योजना को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने के लिए 156 जगहों पर 292 अंत्योदय उत्थान मेले आयोजित किए जा चुके हैं।